फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री रितेश खटीक पिता श्री रमेश चन्द्र खटीक निवासी ग्राम कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 92/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 10.11.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 17.07.2025 का सूचना का अधिकार अधिनियम, 05 के तहत इस कार्यालय को 21.10.2025 को प्राप्त हुआ है। आरटीआई आवेदन में ईप्सित सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गई उसका संबंध इस कार्यालय से नही होकर ग्राम पंचायत, कुरज की होने से इस कार्यालय द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन कार्यालय के जरिये पत्रांक 643—644 दिनांक 22.07.2025 से संबंधित विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(1)(2) में ग्राम विकास अधिकारी, कुरज प.स. रेलमगरा जिला राजसमन्द को अन्तरण करते हुए जरिये डाक प्रेषित करते हुए प्रार्थी को भी प्रति पृष्ठांकित की जाकर जरिये डाक प्रेषित की गयी। अतः प्रार्थी के आरटीआई आवेदन से चाही गई सूचना इस कार्यालय की नहीं होकर ग्राम पंचायत कुरज, पंचायत समिति रेलमगरा, जिला राजसमन्द की होने से समयावधि में अन्तरण की जाकर प्रार्थी को सूचित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना का संबंध ग्राम पंचायत कुरज से होने के कारण लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांक 643—644 दिनांक 22.07.2025 से ग्राम विकास अधिकारी, कुरज पंचायत समिति रेलमगरा को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(1)(2) के तहत अन्तरण कर प्रार्थी को प्रति पृष्ठांकित कर सूचित किया गया।	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अतः उक्त संबंध में अपीलार्थी को निश्चित समायावधि में सूचित किये जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है तथा अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत की सूचना हेतु संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी को नियमानुसार अपील कर वांछित सूचना प्राप्त करे।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)